पत्र सं0–ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)/मु0/सं0प0/17–18/ 1450 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(वि0अनु0शा0–अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 31 अगस्त,2017

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या–ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)/मु0/सं0प0/17–18/1442/ वाणिज्य कर दिनांक 30.08.2017 द्वारा कराधेय व्यक्ति अथवा माल के परिवहन के कारोबार में लगे व्यक्ति अथवा किसी भांडागार या गोदाम के स्वामी अथवा संचालक के व्यापार स्थल अथवा किसी अन्य स्थान के निरीक्षण के सम्बंध मे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम–2017 की धारा 67 एवं तदाधीन निर्मित नियमावली 139, 140 व 141 के अक्षरशः अनुपालन करते हुये ही जाँच किये जानें के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है।

इस सम्बंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अग्रिम आदेशों तक कोई रूटीन जाँच नही की जायेगी। मुख्यालय से अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्देशित मामलों में ही उपरोक्त नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप जाँच की जायेगी। फील्ड स्तर पर यदि किसी मामले में जाँच आवश्यक समझी जाये तो मामले के सभी विवरण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से अनुमति प्राप्त करके ही जाँच की जायेगी। इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुये उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें और यदि कहीं उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो सम्बंधित ज्वाइंट कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0) एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 को सीधे उत्तरदायी माना जायेगा।

31/08/17
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर/राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ